

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक - सम्बद्धता/3/11/2
दिनांक - 19/03/2013

सेवा में,

सचिव,

रायजादा धर्मदास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी,
वेदव्यासपुरी, सेक्टर-1, अपो-सुभारती विश्वविद्यालय बाईपास रोड,
मेरठ

विषय :- रायजादा धर्मदास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, वेदव्यासपुरी, सेक्टर-1
अपो-सुभारती विश्वविद्यालय बाईपास रोड, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था घोषित
जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-F/No.27/2013/2846 दिनांक 19.03.2013 एवं उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1664/सत्तर-6-2013-94/2009 दिनांक 01 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत किये गये आदेशों के अनुपालन में कुलपति जी द्वारा आपके संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
02. सचिव, भारत सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट नं०-4, प्रथम तल, जीविका भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली।
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
04. सचिव कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।



सहाय कुलसचिव (सम्बद्धता)

सचिव

रायजादा धर्मदास इंस्टीट्यूट
ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
वेदव्यासपुरी, मेरठ